

**बिहार विधान सभा सचिवालय**  
**आवश्यक सूचना**  
**संदर्भ : विज्ञापन संख्या-1/2023**

बिहार विधान सभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी के 69 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या-1/2023 दिनांक 13.04.2023 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें कोटिवार विवरणी निम्नवत थी:-

क्रम सं.	कोटि	पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित	29	10
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	07	03
3.	अनुसूचित जाति	10	04
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00
5.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	12	05
6.	पिछड़ा वर्ग	09	03
7.	पिछड़े वर्ग की महिला	01	00
	<b>योग:-</b>	<b>69</b>	<b>25</b>

1.	सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-2526, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित पद	01
----	---	----

उक्त रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के उपरांत बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) संशोधन अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम 19/2023) अधिसूचित किया गया किन्तु कालांतर में CWJC No.-16760/2023 (गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा संबंधित सभी अन्य मामलों में दिनांक 20.06.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा न्यायादेश पारित करते हुए उक्त अधिनियम को Set aside कर दिया गया तथा उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के आलोक में विवेचित पद हेतु चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श प्राप्त हुआ है। फलतः बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा सुरक्षा प्रहरी के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या-1/2023 के अन्तर्गत विज्ञापित पदों में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है किन्तु उक्त पद हेतु नियुक्ति संबंधी कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

उक्त विज्ञापन के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाईन आवेदन कर चुके हैं, को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उक्त पद के लिए इच्छुक नये अभ्यर्थी निम्नांकित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) तथा ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय	29.11.2024 को 11:00 बजे पूर्वा० से
2.	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	13.12.2024
3.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	15.12.2024

**नोट:—उक्त विज्ञापन के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाईन आवेदन कर चुके हैं, को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त विज्ञापनों के आलोक में यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना शैक्षणिक/आरक्षण या अन्य वांछित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है तो सभी प्रमाण पत्रों को अपलोड करना सुनिश्चित करें।**

- (1) उपर्युक्त विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
- (2) उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना/विवरणी एवं ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु निर्देश बिहार विधान सभा के वेबसाइट [www.vidhansabha.bih.nic.in](http://www.vidhansabha.bih.nic.in) पर प्रदर्शित है। (निर्देश हेतु विज्ञापन संख्या—1/2023 को क्लिक करें)
- (3) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश को भली-भांति पढ़ लेंगे।
- (4) उपर्युक्त पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जायेगा, जिसे बिहार विधान सभा के वेबसाइट पर देखा जा सकेगा।
- (5) उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नम्बर 91 9470027525, ई-मेल [helpdesk.bvs24@gmail.com](mailto:helpdesk.bvs24@gmail.com) पर सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर 10:00 बजे पूर्वा० से 06:00 बजे अप० तक की अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

**राम कुमार यादव**  
अवर सचिव  
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।